

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संसद पर नियमों द्वारा संचालित होने वाले एवं नियम वाले वा
में संबंधी नियम अधिकारी के साथ है।
नियमित विषय पर जीवाजी विश्वविद्यालय में इस
प्रकार दृष्टि होती है कि विषय एवं विधि में उत्तर
संसद विषय वाले विधायक विधायिका से।



मा.प्र. : उत्तरायणी
फ़ोन: 0091-(0751) 2442001
(प्रोफेसर)
2442002 (नियम)
फ़ैक्ट्रु : (0091-0751 2341768
E-mail : jucg_gwlj@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu>

प्रेषक :
कुलसवित्त,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : ईफा/उपरबुद्धा/2012/ ५७०९

दिनांक : [31] १२ | २

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत गवर्नरिंग की वैधक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के विष्वविद्यालय जी.आई.टी.एस. ग्वालियर जो लात 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवादित ईम.बी.ए. प्राप्तवार्ष के लिये अधिसूचना उपरबुद्धा नियन्त्रण शर्तों के साथ प्रदान होती जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. ग्वालियर जी.आई.टी.एस. गवर्नर के अनुमति सेवा विषय स्थानों पर भी शिक्षकों की विचुलित विधियां 28(17) के अन्तर्गत करें।
2. पुस्तकालय में प्रकाश संस्थानी ५० शुल्क करें।
3. परिविहार २७-२८ का यात्रा करें।
4. लाइब्रेरीयाल एवं स्पोर्ट ऑफीसर की विष्वविद्यालय 28(17) के अन्तर्गत करें।

आदेशाब्दिक

कुलसवित्त

ग्रन्ति,

1. ग्रामीण, जी.आई.टी.एस. गवर्नरिंग, ग्वालियर, ग्वालियर
2. विदेशक, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विधा परिषद्, इंडिया गांधी ओल परियार, इन्डियन एस्टेट, बहु दिल्ली
3. आयुषल, भव्यप्रदेश शासन, जय विधा विभाग, सतपुढ़ा ग्रन्ति, भोपाल,
4. श्रीमत जलियान लंगलक, भव्यप्रदेश शासन, उच्च विधा विभाग, ग्वालियर-चंबल राष्ट्राज, गोदानी लहड़ा गांवराज, ग्वालियर।
5. अ. कुलसवित्त (प्रोफेसर/लोपती) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. अधिकारी, परीक्षा कमा क्रमांक-०३, विधायिकी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


ग्रामीण कुलसवित्त (उपरबुद्धा)